अत्यन्त महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–15/20/95–का–4–2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांक 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2017

विषयः– चयन वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की रिक्त एवं सम्भावित रिक्तियों के सम्बन्ध में समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति, पदत्याग आदि विभिन्न कारणों से रिक्तियॉ घटित होती रहती हैं, समय से रिक्तियों पर चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए 03 वर्ष पूर्व लोक सेवा आयोग को सम्बन्धित पदों का अधियाचन प्रेषित करने का निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये जाते रहे हैं। सुस्पष्ट प्राविधानों एवं निर्देशों के बावजूद सम्बन्धित आयोग को समय से अधियाचन उपलब्ध न कराये जाने के कारण पदों पर चयन कराये जाने में विलम्ब होता है, जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है।

कदाचित 2017–18 में घटित होने वाली रिक्तियों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, को प्रेषित कर दिये गये होंगे, परन्तु यदि अब तक चयन वर्ष 2017–18 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक की अवधि) में घटित होने वाली रिक्तियों में अधियाचन न भेजा गया हो तो अपने अधीनस्थ निदेशालयों/कार्यालयाध्यक्षों से सूचना संकलित कर प्रत्येक दशा में 31 अगस्त, 2017 तक सम्बन्धित आयोग को भेजा जाना सुनिश्चित करें। यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, को अधियाचन भेजे जाने के उपरान्त चयन की प्रकिया पूर्ण होने में प्रायः 02 वर्ष का समय लग जाता है। अतः इस कठिनाई के दृष्टिगत कृपया चयन वर्ष 2018–19 (01जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक की अवधि) में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों का आकलन कर इन पदों पर चयन किये जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रत्येक दशा में 30 नवम्बर, 2017 तक भेजा जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।